राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 448/2016

कृष्णा गोयल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सवाईमाधोपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।
4. ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सेवर, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.03.2016
आदेश की दिनांक : 03.09.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री ऋषभ चंद जैन, अधिवक्ता

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.12.1998 को हुई थी। वर्ष 1993–94 में जब अपीलार्थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पीपलवाडा में पदस्थापित थी तब विभिन्न कारणों से अवकाश पर रही थी। अपीलार्थी को दिनांक 13.05.1994 को प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पीपलवाडा द्वारा कार्य पर नहीं लिया गया, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने कई अभ्यावेदन दिये। दिनांक 13.02.2001 को ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी खण्डार, जिला सवाई माधोपुर द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि मेरी अभिभाष्या को दिनांक 19.08.1994 के आदेश द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 19.08.1994 के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा एक अपील माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, इस अपील के निस्तारण से पूर्व ही अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 13.05.2005 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय गगांसीतीपुरा में पदस्थापित कर दिया गया। उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने अपने पत्र दिनांक 04.12.2004 से अपीलार्थी की सेवामुक्ति को गलत माना था (अनुलग्नक–1 एवं 2)। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण ने आदेश दिनांक 15.01.2013 (अनुलग्नक–3) द्वारा इस निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया कि अपीलार्थी को पुनः सेवा में लिये जाने के कारण मिलने वाले पारिणामिक लाभों के लिए अपीलार्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे तथा अपील को सारहीन होने के कारण निस्तारित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उसे प्राप्त होने वाले पारिणमिक लाभों यथा वेतन, भत्ते, वेतनवृद्धियां व 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के कारण मिलने वाली चयनित वेतनमान हेतु कई

अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुकी है परन्तु अभी तक भी अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी को उसके कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन प्राप्त हो रहा है। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं की गई (अनुलग्नक–5)। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को उसे प्राप्त होने वाले पारिणमिक लाभों यथा वेतन, भत्ते, वेतनवृद्धियां व 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मिलने वाली चयनित वेतनमान नहीं दिया जाना न केवल अनुचित, अवैध व नियमविरूद्ध भेदभावपूर्ण कार्यवाही है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को दिनांक 19.08.1994 को समाप्त किये जाने के कारण मिलने वाले परिलाभ मय ब्याज के भुगतान किये जाने के निर्देश पारित किये जावे।

विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत लम्बित अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय से दो माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य